SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Uttanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/10/SFCF/120 **Date:-**03-10-2025

सेवा में,

1– माननीय कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

2– श्रीमान कुलसचिव जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :– प्रबंध समिति चुनाव में केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में बाध्य की गई विवि0 की प्रशासन योजना को नियम विरुद्ध होने के कारण समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप कृपया अवगत हो की विवि0 द्वारा सभी स्ववित्तपोषित संस्थानों में होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव में प्रशासन योजना को लागू किया गया है जो की पूर्णतया नियम विरुद्ध और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम का अतिक्रमण है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार किसी भी सोसाइटी के गठन के लिए न्यूनतम 07 पदाधिकारी/सदस्य एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार किसी भी न्यास (ट्रस्ट) के गठन के लिए 02 पदाधिकारी/सदस्य की आवश्यकता है। <u>विवि0 की प्रशासन योजना के बिंदु संख्या 03 में साधारण सभा के लिए निर्धारित मापदंड उल्लेखित अधिनियमों का अतिक्रमण करते है और यह विधि विरुद्ध है।</u> प्रशासन योजना के अनुसार सोसाइटी/ट्रस्ट की साधारण सभा में न्यूनतम 31 सदस्यों की बाध्यता की जाती है जो की महाविद्यालयों में अनावश्यक रूप से प्रबंध समिति में वाद विवाद को जन्म देने वाली व्यवस्था है साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम का पूर्णतया अतिक्रमण है जो की विवि0 के अधिकार क्षेत्र से बहार है।

<u>विवि0 द्वारा प्रबंध समिति चुनावो में लागू प्रशासन योजना ना तो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश से प्रख्यापित है और ना ही समान रूप से कभी भी समस्त महाविद्यालयों के लिए लागू की गयी है।</u> प्रबंध समिति के दायित्व एवं क्रियान्वयन अनुदानित, राजकीय महाविद्यालयों में भी उसी

Scanned with OKEN Scanner

तरह से है जिस तरह से स्ववित्तपोषित संस्थानों में है लेकिन विवि0 ने कार्यपरिषद से 20 जुलाई 2013 के मद संख्या 14 में प्रशासन योजना को अनुमोदित कराकर पत्र संख्या सम्बद्धता/1636 दिनाँक 31.07.2013 को परिपत्र जारी करते हुए जिस तरह से केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू किया वह विवि0 के संबंधितो द्वारा अपनी शक्तियों एवं प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पदाधिकारी/सदस्यों की संख्या को विस्तृत करने के लिए विवि0 बाध्य नहीं कर सकता है जो की उसके द्वारा प्रशासन योजना के माध्यम से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विवि0 अधिनियम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की प्रशासन योजना जो की केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू की जा रही है को प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। विवि0 की प्रशासन योजना विवादों को जन्म देने वाली और स्ववित्तपोषित संस्थानों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाली है। प्रदेश में प्रबंध समितियों में होने वाले विवादों और उससे जन्म ले रहे न्यायिक विवादों को देखते हुए निजी इण्टरमीडिएट कॉलेजो में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 13 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए प्रशासन योजना को रद्द करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी एवं ट्रस्ट की साधारण सभा की समिति द्वारा संचालन करने के आदेश निर्गत कर दिए गए है। **शासन का भी स्पष्ट मत है की इस प्रकार की प्रशासन योजना और उससे होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव विवादों को जन्म देते है और कुशल संचालन में बाधा उत्पन्न करते है।**

श्रीमान जी, विवि0 द्वारा स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू प्रशासन योजना पूर्णतया सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम का अतिक्रमण है और प्रख्यापित नहीं है जिससे यह संस्थानों में लागू किये जाने योग्य नहीं है। इस क्रम में आपसे अनुरोध है की कृपया करके नियम विरुद्ध लागू प्रशासन योजना एवं उसके आलोक में हो रहे प्रबंध समिति चुनाव को समाप्त करने की कृपा करे।

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह)
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	वरिष्ठ महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION SFCF

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है।

Scanned with OKEN Scanner